भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1373
दिनांक 11 फरवरी, 2025 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय पशुधन मिशन का कार्यान्वयन

1373. श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन के दौरान घोषित दिशा-निर्देशों में किए गए प्रमुख परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए उक्त दिशा-निर्देश किस प्रकार बनाए गए हैं और पशुपालन क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या उक्त दिशा-निर्देशों का उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क), (ख) और (ग) दिनांक 13 जनवरी, 2025 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) सहित विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रचार के लिए हितधारक परामर्श और जागरूकता कार्यकलाप किए गए।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम), जिसे मूलतः वर्ष 2021-22 के दौरान कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई थी, में भेड़, बकरी, सूअर, पोल्ट्री और चारा विकास के लिए उद्यमशीलता और आनुवंशिक उन्नयन कार्यकलाप शामिल थे। घोड़े, ऊँट और गधों की देशी नस्लों के संरक्षण और आनुवंशिक सुधार को शामिल करके इसके दायरे का विस्तार करने के लिए फरवरी 2024 में कैबिनेट की स्वीकृति के साथ इस योजना को पुनर्गठित किया गया। उपरोक्त विस्तारित कार्यकलापों का विवरण वर्ष 2024 की पुनर्संरेखित एनएलएम दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस प्रकार है:

1. (i) पशुधन और पोल्ट्री के नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन: भेड़, बकरी, पोल्ट्री, सुअर हेतु मौजूदा कार्यकलापों के अलावा, देशी नस्ल के विकास को बढ़ावा देने के लिए देशी घोड़े, गधे और ऊंट के उद्यमिता विकास हेतु कार्यकलापों को शामिल किया गया है। व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसान सहकारी संगठन (एफसीओ), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियां परियोजना लागत पर 50 लाख रु. तक की 50% की पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जिसमें आवास, प्रजनन पशुओं की खरीद, बीमा, चारा कृषि हेतु भूमि की तैयारी तथा अन्य उपकरण शामिल हैं।
   (ii) घोड़े, गधे और ऊँट के आनुवंशिक सुधार से चयनात्मक प्रजनन, क्रॉसब्रीडिंग और कृत्रिम गर्भाधान जैसी सहायक प्रजनन तकनीकों के माध्यम से देशी नस्लों के आनुवंशिक सुधार और संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत आने वाले उप-कार्यकलापों का विवरण इस प्रकार है:
      क) राज्य सरकारों और आईसीएआर संस्थानों के लिए केंद्रीय सहायता से घोड़ों, गधों और ऊंटों के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशालाओं और वीर्य बैंकों की स्थापना।
      ख) अवसंरचना के विकास हेतु 10 करोड़ रूपये तक की सहायता के साथ संकटापन्न देशी नस्लों के संरक्षण के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म की स्थापना।
      ग) घोड़ों, गधों और ऊँटों के लिए 100% केंद्रीय सहायता से नस्ल पंजीकरण समितियों का गठन। ये समितियाँ देशी नस्लों का पंजीकरण करेंगी और उनका रिकॉर्ड और ट्रेसबिलिटी बनाए रखेंगी।

2. आहार एवं चारा विकास संबंधी उप मिशन: उप मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल किए गए हैं:

   i) बीज प्रसंस्करण और ग्रेडिंग अवसंरचना में उद्यमशीलता कार्यकलाप: निजी कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान सहकारी संगठनों (एफसीओ), सहकारी समितियों, संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और धारा 8 कंपनियों को आधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार अवसंरचना विकास, संयंत्रों

और मशीनरी की खरीद तथा बीज भंडारण सुविधाओं की स्थापना के लिए परियोजना लागत पर 50 लाख रुपये तक की 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगी।

ii) गैर-वन बंजर भूमि/रेंजभूमि/गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन: यह घटक विभिन्न प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त विशिष्ट चारा वृक्ष, बारहमासी घास और फलीदार पौधे लगाकर खराब हो चुकी गैर-वन बंजर भूमि, रेंजभूमि और गैर-कृषि योग्य भूमि के सुधार पर केंद्रित है। इस पहल से चारे की उपलब्धता बढ़ेगी और फलीदार पौधों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा राज्य पशुपालन विभागों को सहायता प्रदान की जाएगी।

iii) वन भूमि से चारा उत्पादन: यह घटक उपयुक्त चारा वृक्ष, घास और फलीदार पौधे रोपित कर अवक्रमित वन भूमि के पुनर्वास और सुधार पर केंद्रित है। यह कार्यकलाप वनस्पति आवरण घनत्व और समग्र वन स्वास्थ्य में सुधार करेगा, जिससे सतत चारा आपूर्ति सुनिश्चित होगी। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा राज्य पशुपालन विभागों को सहायता प्रदान की जाएगी।

एनएलएम के दिशानिर्देश, उद्यमियों, राज्य सरकारों, आईसीएआर संस्थानों और पशुधन क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए थे, जिससे पशुधन क्षेत्र में संपत्ति सृजन हेतु एक समग्र और समावेशी ढांचा सुनिश्चित किया जा सके।

पुनर्गठित एनएलएम में पशुधन क्षेत्र में भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा, गधा, ऊँट और पोल्ट्री के आनुवंशिक उन्नयन हेतु चयनात्मक प्रजनन, उन्नत प्रजनन तकनीकों और न्यूक्लियस प्रजनन फार्मों तथा क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशालाओं की स्थापना पर जोर देने वाले कार्यकलापों की परिकल्पना की गई है। बीजों की ग्रेडिंग, प्रसंस्करण अवसंरचना और गैर- वनीय और वनीय भूमि पर चारा उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता सहित नई पहलों के माध्यम से चारा विकास पर और अधिक जोर दिया गया है। इन प्रयासों का उद्देश्य अवक्रमित गैर-वनीय और वनीय भूमि का पुनर्वास और सुधार करना है और साथ ही चारे की उपलब्धता को बढ़ाना है। इन उपायों का सामूहिक उद्देश्य बीज प्रसंस्करण और चारा विकास को आगे बढ़ाते हुए उत्पादकता में सुधार करना है।

वर्ष 2021-22 में अनुमोदित पुनर्संरेखित राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के दिशा-निर्देश, विशेष रूप से सभी पात्र संस्थाओं के बीच पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु तैयार किए गए हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय सहायता, अवसंरचना सहायता और आधुनिक प्रजनन तकनीकों तक पहुँच प्रदान करके सतत पशुधन आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करना है।

चारा विकास पर जोर देने का उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य में सुधार करना और दूध तथा मांस उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देशों के तहत कई घटक शामिल किए गए हैं, जिनमें देशी नस्ल विकास, आनुवंशिक सुधार तथा आहार और चारा उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये पहलें न केवल ग्रामीण आजीविका और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाएँगी बल्कि पशुपालन क्षेत्र के समग्र विकास और स्थिरता में भी योगदान देंगी।

आज की स्थिति तक विभाग द्वारा 3,295 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल परियोजना लागत 2,381.12 करोड़ रूपये है और सब्सिडी राशि 1,098.63 करोड़ रूपये है। इनमें से 1,309 लाभार्थियों को 263.29 करोड़ रूपये संवितरित किए जा चुके हैं।

****